मुख्य अभियंता (निरूपण) का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक:-भवन/निरूपण-2-45/22 (विविध पार्ट-1)

प्रेषक,

रवि कान्त,
मुख्य अभियंता(निरूपण)।

सेवा में,

सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक:-

विषय:- भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न योजनाओं के निरूपण हेतु वांछित अभिलेख सहित विहित माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न योजनाओं के निरूपण हेतु अनुरोध प्राय: कार्यपालक अभियंता द्वारा ही निरूपण उपभाग को भेजी जाती है। सामान्यत: यह देखा जा रहा है कि उपलब्ध कराये जा रहे निरूपण प्रस्ताव के साथ अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्री-लेवल टोपोग्राफिकल सर्वे, कंटुर सर्वे प्लान तथा औसत NGL की गणना संलग्न नहीं की जाती है। जिस कारण अनुमोदित निरूपण नक्शा उपलब्ध कराये जाने के उपरांत अथवा निर्माण कार्य के क्रम में प्री-लेवल टोपोग्राफिकल सर्वे, कंटुर सर्वे प्लान तथा औसत NGL की गणना के आधार पर निरूपण में संशोधन की मांग की जाती है। जिससे निरूपण में संशोधन अथवा पत्राचार में अनावश्यक समय व्यर्थ होता है।

निरूपण हेतु अनुरोध के साथ निम्नांकित अभिलेख/कागजात आवश्यक है:-

1. तकनीकी अनुमोदन की छायाप्रति।
2. प्रशासनिक स्वीकृति के पत्र की छायाप्रति।
3. अनुमोदित वास्तुविदीय नक्शा तथा स्थल ले-आउट प्लान।
4. कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मिट्टी जाँचफल प्रतिवेदन।
5. अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्री-लेवल टोपोग्राफीकल सर्वे नक्शा, कंटुर सर्वे प्लान तथा औसत NGL की गणना।
6. परामर्शी का हस्ताक्षर (यदि हो तो)।
7. Vetting (यदि प्रावधानित हो तो)

उपरोक्त के आलोक में आपको निदेशित किया जाता है कि वांछित अभिलेख/कागजात संलग्न करते हुए विहित माध्यम से ही निरूपण का अनुरोध किया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/-
(रवि कान्त)
मुख्य अभियंता(निरूपण)।

ज्ञापांक:- 876 (नि.) पटना, दिनांक:- 08/10/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/10/2026

(रवि कान्त)

मुख्य अभियंता(निरूपण)।